दिनांक 24.05.2021 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

निर्धारित समय को छोड़कर दिन में कर रहा था प्याज और पत्तागोभी की अनलोडिंग, 10 हजार लगा जुर्माना

भिलाईनगर / आज आकाशगंगा सब्जी मंडी में फिर एक बार लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई। आकाशगंगा सब्जी मंडी तथा अन्य प्रमुख मार्केट पर निगम की मोबाइल टीम द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही है, शनिवार को पावर हाउस मार्केट क्षेत्र में घूम-घूम कर कार्रवाई की गई थी। जहां भी नियमों की अवहेलना करने की शिकायत प्राप्त हो रही उन क्षेत्रों में मोबाइल टीम के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। आज आकाशगंगा सब्जी मंडी में मोबाइल टीम के प्रभारी प्रकाश अग्रवाल के नेतृत्व में मंडी क्षेत्र का संपूर्ण निरीक्षण किया गया , जहां सभी दुकाने बंद पाई गई परंतु सुबह करीब 11 बजे प्याज और पत्तागोभी से भरे ट्रक जो कि दुकान में अनलोडिंग कर रहे थे, उन्हें वाहन समेत सुपेला थाना के सुपुर्द कराया गया और दोनों ही व्यापारियों से दण्डस्वरूप 5-5 हजार का जुर्माना वसूला गया। इसी प्रकार स्मृति नगर के एक रेस्टोरेंट संचालक द्वारा नियम विरूद्ध भोजन देते हुए पाए जाने पर 5000 हजार रू जुर्माना वसूला गया। लॉकडाउन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने बार-बार समझाइश देने के बाद भी नहीं मानने वालों के दुकानों को सीलबंदी की कार्यवाही भी कई स्थानों पर की जा चुकी है।

लाॅकडाउन में आंशिक छूट के साथ व्यापार के अनुमति का कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे है , नियमों का उल्लंघन करने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने निगम की मोबाइल टीम दो पालियों में निरीक्षण कर लगातार कार्यवाही कर रही है। आज मोबाइल टीम आकाशगंगा स्थित सब्जी मंडी का भ्रमण किए इस दौरान पत्ता गोभी से भरी हुई ट्रक कं. सीजी 04 एचएक्स 2755 और प्याज से भरी हुई ट्रक क्र. एमपी 48 एच 1585 लोडिंग/अनलोडिंग करने की निर्धारित समय को छोड़कर अनलोडिंग कर रहे थे, जिनके वाहन को सब्जी समेत सुपेला थाना को सौंपा गया तथा व्यवसायियों से अर्थदंड वसूल किया गया। इसी प्रकार शाम के समय निकली मोबाइल टीम स्मृतिनगर पहुंची जहां भूख्खड़ रेस्टोरेंट्स के संचालक द्वारा जिला प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए भोजन टेक अवे के माध्यम विक्रय किए जाते हुए पाए जाने पर 5000 रूपए अर्थदण्ड वसूलने की कार्यवाही की गई। इसके अलावा घूम-घूम कर निगम क्षेत्र का निरीक्षण के दौरान जुनवानी के साहू किराना स्टोर्स से 500 रूपए एवं नन्दकिशोर से 500 रूपए अर्थदण्ड वसूल किया गया। उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर भिलाई निगम में लॉकडाउन के उल्लंघन पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इससे पूर्व भी समझाईश के बाद भी नियमों का उल्लंघन कर दुकान खोलने

और आकाशगंगा सब्जी मंडी में नियमों के उल्लंघन कर व्यवसाय करने पर कई स्थानों पर सील बंद करने की कार्यवाही की जा चुकी है। आज की कार्यवाही में निगम के सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे, संजय वर्मा एवं सुपेला थाना के पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे।